कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413, फैक्स - 0771-2263412)
(Email - highereducation.cg@gmail.com; Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्र. 130 /आउशि/न्या.प्र./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/10/2025

प्रति,

1. **अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय,**
   रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा
2. **कुलसचिव,**
   समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ़

विषय- न्यायालयीन प्रकरण क्रिमिनल अपील क्रमांक 3177/2025 सुखदेब शाह विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य एवं अन्य।

संदर्भ- उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक LAW-4201/744/2025/38-2 दिनांक 29.08.2025 (प्राप्ति दिनांक 03.09.2025)

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 के पैरा 35 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 के परिपालन में भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.08.2025 को पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा 35 में दिशानिर्देश निम्नानुसार जारी किया गया -

i. समस्त शैक्षणिक सेवा संस्थान "उम्मीद" मसौदा (Draft) दिशानिर्देशों, मनोदर्पण पहल और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति से प्रेरणा लेते हुए एकरूपता में मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनाते हुए लागू करेंगे। उक्त नीति का वार्षिक समीक्षा किया जावेगा एवं इसे संस्थानों के वेबसाइट तथा सूचना पटल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जावेगा।
ii. जिन शिक्षण संस्थानों में 100 या इससे अधिक नामांकित छात्र है वहां समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य से प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त कम.से.कम एक योग्य परामर्शदाताए मनोवैज्ञानिक या समाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जावेगी। जिन संस्थानों में छात्रों की संख्या कम है उनको बाह्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर औपचारिक परामर्श संबंध स्थापित करने होंगे।

iii. समस्त शैक्षणिक संस्थानों को Optimal आधार पर छात्र से परामर्शदाता अनुपात सुनिश्चित करना होगा। सलाहकारों या परामर्शदाताओं को छात्रों के छोट -छोटे बैंच बनाने होंगे ताकि विशेष रूप से परीक्षा अवधि और शैक्षणिक संक्रमण के दौरान लगातार अनौपचारिक एवं गोपनीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके।

iv. समस्त शैक्षणिक संस्थान विशेष रूप से कौंचिग संस्थान/केन्द्र जहां तक संभव हो शैक्षणिक प्रदर्शन, सार्वजनिक अपमान या छात्रों की क्षमता से अधिक शैक्षणिक लक्ष्य सौपनें से पृथक रहेंगे।

v. समस्त शैक्षणिक संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओंए स्थानीय अस्पतालों एवं आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाईनों के लिए तत्काल संप्रेषण हेतु लिखित प्रोटोकॉल स्थापित करने होंगे। टेली मानस और राष्ट्रीय सेवाओं सहित आत्महत्या हेल्पलाईन नं. को छात्रावासों, कक्षाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों एवं वेबसाइट पर बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में प्रमुखता से प्रदर्शित किये जायेंगे।

vi. समस्त शिक्षण एवं गैरशिक्षण कर्मचारियों को वर्ष में कम-से-कम दो बार अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जो कि मानसिक स्वास्थ्य पेशावरों द्वारा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार सांकेतिक चिन्हों, आत्माक्षति के प्रति प्रतिक्रिया एवं संप्रेषण तंत्र द्वारा आयोजित किये जायेंगे।

vii. समस्त शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिक्षण, गैरशिक्षण, और प्रशासनिक कर्मचारी संवेदनशील एवं गैर भेदभाव पूर्ण कमजोर छात्रों के साथ जुड़ने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), LGBTQ समुदायए विकलांग छात्र, घर से बाहर रहने वाले छात्रए शोक, आधार या पूर्व में आत्महत्या के प्रयास से प्रभावित छात्र शामिल होंगे।

viii. समस्त शैक्षणिक संस्थान जातिए वर्ग, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, धर्म या जातियता के आधार पर यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न, रैंकिंग एवं सार्वजनिक अपमान/शर्मिन्दगी से जुड़ी घटनाओं की रिर्पोटिंग, निवारण एवं रोकथाम के लिए मजबूत गोपनीय सुलभ तंत्र स्थापित करेगा। प्रत्येक संस्था एक आंतरिक समिति या नामित प्राधिकारी का गठन करेगी, जो तत्काल शिकायतों पर कार्यवाही करने एवं पीड़ितों का मनोवैज्ञानिक-समाजिक सहायता प्रदान करने के लिए सशक्त होगी। उक्त संबंध में संस्थाएं शिकायतों पर Zero Tolerance पर कार्य करेगी। छात्रों के सुरक्षा शाररीक एवं मनोवैज्ञानिक को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि इन मामलों पर समय-समय पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं जाती है, जहां ऐसी उपेक्षा छात्र के आत्मक्षति या आत्महत्या के लिए योग कारक है तो यह उपेक्षा संस्थागत दोष के रूप में माना जायेगा।

ix. समस्त शैक्षणिक संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के विषय में अभिभावकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रमों (भौतिक एवं/या ऑनलाईन) आयोजित करेंगे। संस्थान का यह कर्तव्य होगा कि वह अभिभावकों को अनावश्यक शैक्षणिक दबाव से बचने,

मनोवैज्ञानिक संकट के संकेतों को पहचानने एवं सहानुभूतिपूर्वक तथा सहयोगात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए जागरूक करें। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता, भावनात्मक विनियमन, जीवनशैली, शिक्षा एवं संस्थागत सहायता सेवाओं के बार में जागरूकता को छात्र अभिविन्यास कार्यक्रमों एवं सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में एकीकृत किया जावेगा ।

x. समस्त शैक्षणिक संस्थान गोपनिय रिकॉर्ड रखेगा जिसके आधार पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना होगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों, छात्र संप्रेषण, प्रशिक्षण सत्रों एवं मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियों की संख्या दर्शायी जावेगी। उक्त रिपोर्ट संबंधित नियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी, जो राज्य शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा (AICTE) केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) या अन्यथा निर्दिष्ट हो सकता है।

xi. समस्त शैक्षणिक संस्थान खेलए कला और व्यक्तित्व विकास पहलू सहित पाठ्येत्तर गतिविधियों को प्राथमिकता देंगे। शैक्षणिक बोझ को कम करने और छात्रों में परीक्षा के अंको और रैंक से परे पहचान व्यापक भावना विकसित करने के लिए परीक्षा पैटर्न की समय-समय पर समीक्षा की जावेगी।

xii. कोंचिग सेटर एवं प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान छात्रों और उनके माता पिता या अभिभावकों के लिए नियमित संरचित करियर परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायेंगे। इस तरह के सत्र योग्य परामर्शदाताओं द्वारा संचालित किये जायेंगे एवं इनका उद्देश्य अवास्तविक शैक्षणिक दबाव को कम करनाए विविध शैक्षणिक और व्यवसायिक विकल्प के विषय में जागरूकता बढ़ाना साथ ही छात्रों का रूचि आधारित करियर निर्णय लेने में सहायक करना होगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा परामर्श समाजिक आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होए तथा योग्यता या सफलता की संकीर्ण परीभाषाओं को प्राथमिकता न दे।

xiii. समस्त अवासीय शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास के मालिकोंए वार्डनों एवं केयरटेकर को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे की परिसर उत्पीड़न, Bullying, नशीली दवाओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त रहे। जिससे समस्त छात्रों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ रहने और सीखने का माहौल सुनिश्चित हो सके।

xiv. समस्त अवासीय संस्थानों को Tamper-Proof Ceilling Fans या समकक्ष सुरक्षा उपरकरण लगाने होंगे। साथ ही आत्म-क्षति के आवेग पूर्ण कृत्यों को रोकने के लिए छतों, बालकनियों तथा अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना होगा ।

xv. समस्त कोंचिग केन्द्र, जिनमें जयपुर, कोटा, सीकर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुम्बई और शहर शामिल है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में छात्र आते है, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा निवारक उपायों को कठोरता से लागू करना होगा। जिन क्षेत्रों छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं अनुपातहीन रूप से अधिक रही है, वह विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधित प्राधिकारी अर्थात् शिक्षा विभाग जिला

प्रशासन तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन, छात्रों और अभिभावकों के लिए नियमित करियर परामर्श, संरचित शैक्षणिक योजना के माध्यम से शैक्षणिक दबाव का नियमन, निरंतर मनोवैज्ञानिक सहायता की उपलब्धता तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु निगरानी और जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करने हेतु समस्त प्राचार्यो को निर्देशित कर समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/विश्वविद्यालय पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलम्ब 02 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
GOVERDHAN YADU
Date: 07-10-2025
12:05:36

सहायक संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)